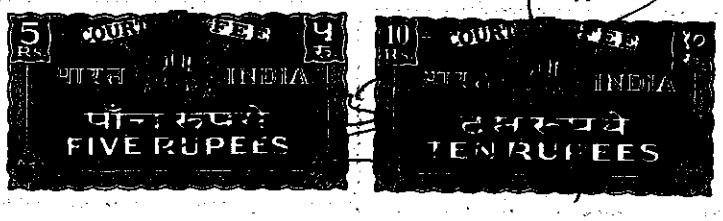

FIVE RUPEES TEN RUPEES

110

-1 CP151

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ निगरानी

R1838 II/06

PH के गवाली, मोहि.

दी 29.1.06 को प्रस्तुत

द्वारा पालक सिं

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

प्रह्लाद सिंह पुत्र श्री हिमंचल सिंह, निवासी ग्राम कवांगिरा, तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

१। श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री ग्यादीन सिंह

२। सुरेश सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह

दोनों निवासीगण ग्राम कवांगिरा, मजरा बंगला, तहसील व जिला भिण्ड म०प्र० -- प्रतिप्रार्थीगण

24/01

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक ११ अगस्त, २००६ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ (प्रकरण क्रमांक २२/२००५-२००६ निगरानी)।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि अपरआयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि जब विवादित भूमि का आवंटन पूर्व में प्रार्थी को हो चुका है और इस सम्बन्ध में विवाद इस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तब प्रतिप्रार्थीगण को विवादित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। प्रार्थी का नाम राजस्वअभिलेखों में अंकन होते हुये भी उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा नियमों का पालन किये बिना एवम् बिना विधिवत जांच के तहसील न्यायालय व्दारा प्रतिप्रार्थीगण को किया गया आवंटन

1/12

---- २

XXXX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 1838–दो/2006 निगरानी जिला भिण्ड

क्रम तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता०
2.11.16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–8–2006 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत पेश की गई हैं 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी तथा अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण नंबर 3/2000–01 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 13–11–2000 से सुखदेव सिंह एंव सुरेश के हित में ग्राम कचोंगरा की कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 हैक्टर भूमि का बन्टन किया है। इस आदेश के विरूद्व प्रहलाद सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 30/2002–03 दायर की । अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने पक्षकारों की सुनवाई करते हुये आदेश दिनॉक 14–11–2005 पारित किया तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 13–11–2000 निरस्त करते हुये प्रकरण पुन: जॉच करके पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 22/2005–06 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 11–8–2006 से निगरानी स्वीकार करके अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया तथा	

तहसीलदार केबन्टन आदेश दिनांक 13-11-2000 को यथावत् रख दिया। प्रकरण में यह देखना है कि क्या तहसीलदार भिण्ड ने वाद विचारित भूमि व्यवस्थापित करने में त्रृटि की थी अथवा नहीं ? अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनॉक 14-11-05 के पृष्ठ 2 पर 5 में लिखा है कि खसरा पंचशाला 2051 लगायतत 2055 में तथा खसरा पंचशाला 2041 से 2047 एंव 2020 से 2025 में इसी भूमि पर प्रहलाद सिंह का शासकीय पटटेदार के रूप में नाम दर्ज है जिसके कारण वह विचाराधीन भूमि में हितबद्व पक्षकार है जिसे सुने बिना एंव व्यक्तिगत सूचना दिये बिना तहसीलदार ने अनावेदकों को आदेश दिनांक 13-11-2000 से गलत पटटा जारी किया है जिसके कारण उन्होंने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करके प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करते हुये पुन: भूमि बन्टन पर विचार हेतु प्रत्यावर्तित किया है। जहॉ तक अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-8-2006 में निकाले गये इस निष्कर्ष पर ध्यान दिया जाय कि प्रहलाद सिंह के हित में उक्तांकित भूमि का पूर्व में जारी पटटा निरस्त हो चुका है उचित प्रतीत नहीं होता , क्योंकि अनावेदकगण के हित में तहसीलदार भिण्ड व्दारा आदेश दिनॉक 13-11-2000 से पटटा जारी करने के भूमि के सार्वजनिक प्रयोग के उद्वेश्य से (ग्रामसभा) ग्राम पंचायत का अभिमत लिया जाना आवश्यक है अथवा ग्राम के दो तिहाई बासिन्दों की सहमति लेना चाहिये, और यह कार्यवाही तहसीलदार व्दारा करना नहीं पाया गया है। भले ही आवेदक के हित में पूर्व में हुआ पटटा निरसत हो चुका है किन्तु उसका नाम शासकीय अभिलेख में अभिलिखित होने से उसे भी सुना जाना आवश्यक है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 14-11-2005 में ठीक निष्कर्ष निकालते हुये प्रकरण निष्पक्ष भाव से पुर्नबन्टन पर विचार हेतु वापिस करना परिलक्षित है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-8-2006 में निकाले गये निष्कर्षो पर सहमती नहीं दी जा सकती।

प्रकरण कमांक 1838-दो/2006 निगरानी

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-8-2006 दोषपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा अपील कमांक 30/2002-03 में पारित आदेश दिनॉक 14-11-2005 पुर्नजीवित होने से प्रकरण में पक्षकारों की सुनवाई कर भूमि के नियमानुसार पुर्नबन्टन पर विचार हेतु तहसीलदार भिण्ड को निर्देश दिये जाते हैं।

सदस्य